

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
प्रादीप्य आधारित शुल्क वापसी नियम, 2015

1. उद्देश्य -

यह नियम विश्वविद्यालय के इस संकल्प को पूरा करता है कि विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत ऐसे प्रतिभावान छात्र जो गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty line) के हैं तथा जिन्हें छ.ग शासन अथवा किसी अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है, को चिन्हित कर शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाय।

2. पात्रता -

(2.1) छात्र की पात्रता से अभिप्राय पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त उस छात्र/छात्रा से है जिसने नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया है तथा उन्हें किसी अन्य माध्यम से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं है।

(2.2) गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty line) से अभिप्राय छात्र/छात्रा के पालक/अभिभावक अथवा स्वयं को छ.ग. शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे चिन्हित किया गया है तथा उसे/उसके पालक/अभिभावक को सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

3. शुल्क प्रतिपूर्ति -

शुल्क प्रतिपूर्ति से अभिप्राय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिये छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गई शुल्क की प्रतिपूर्ति से है। प्रावधान अनुसार छात्र/छात्रा को जमा की गई शुल्क की 80% राशि की वापसी की जाएगी।

4. स्नातक कक्षा -

स्नातक कक्षा से अभिप्राय है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्न गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

(4.1) बी.ए. प्रथम, बी.ए. द्वितीय तथा बी.ए. अंतिम वर्ष।

(4.2) बी.एस.सी. प्रथम, बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष तथा बी.एस.सी. अंतिम वर्ष।

(4.3) बी.कॉम प्रथम, बी.कॉम द्वितीय वर्ष तथा बी.कॉम अंतिम वर्ष।

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Keshava Lal Pradhan
Incharge
PSSOU, CG Bilaspur

विभाग - कुलसचिव कार्यालय
दिनांक - 29/06/16

सहायक
अधीक्षक
मुख
5.16

5. स्नातकोत्तर कक्षा -

स्नातकोत्तर कक्षा से अभिप्राय है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्न गैर व्यवसायिक कक्षा / पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

- (i) एम.ए.पूर्व एवं एम.ए. अंतिम
- (ii) एम.एस.सी. पूर्व एवं एम.एस.सी अंतिम
- (iii) एम.एस. डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) प्रथम एवं अंतिम वर्ष।

6. प्रावीण्य (मेरिट) -

प्रावीण्य से अभिप्राय निम्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेरिट -

- (i) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम प्रथम वर्ष के छात्र के लिए छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी (10+2) की परीक्षा में प्राप्त अंक।
- (ii) बी.ए./ बी.एस.सी./बी.कॉम द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए इस विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक।
- (iii) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए इस विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक।
- (iv) एम.ए.पूर्व विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंक।
- (v) एम.ए. अंतिम इस विश्वविद्यालय की संबंधित विषय पूर्वाध की परीक्षा में प्राप्त अंक।
- (vi) एम.एस.सी. पूर्व - इस विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंक।
- (vii) एम.एस.सी. अंतिम - इस विश्वविद्यालय की पूर्वाध की परीक्षा में प्राप्त अंक।

7. चयन प्रक्रिया :-

निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति कक्षावार/विषयावार छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंतिम सप्ताह तक शुल्क वापसी की कार्यवाही की जाएगी।

इस हेतु चयन समिति का गठन निम्न अनुसार होगा।

- (i) कुलपति जी द्वारा नामित प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर एक सदस्य - अध्यक्ष
- (ii) कुलपति जी द्वारा नामित असिस्टेंट प्रोफेसर एक - सदस्य
- (iii) अकादमिक विभाग प्रमुख - प्रस्तुतकर्ता एवं पदेन सचिव

किसी तरह के विवाद की स्थिति में कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा, तथा इसे किसी भी न्यायालय में वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता।

----- 000 -----

(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 44 वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 के प्रस्ताव क्रमांक 07 में अनुमोदित)

VERIFIED

REGISTRAR
Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Deelany
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

क्र. 4037 अकादमी / 2016

बिलासपुर, दिनांक : 23/07/2016

अधिसूचना

प्रावीण्य आधारित शुल्क वापसी नियम, 2015 के अनुसार विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् ऐसे प्रतिभावान (मेरिट सूची में प्रथम आये) छात्र जो, गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty Line) के हैं तथा जिन्हें छ.ग. शासन अथवा किसी अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है, को चिन्हित कर उनके द्वारा जमा किये गये शुल्क की 80 प्रतिशत राशि वापस किया जाना है।

उपरोक्त के आधार पर संलग्न मेरिट सूची के छात्र अपनी पात्रता प्रमाणित करने हेतु 23 अगस्त 2016 तक निम्नलिखित प्रमाण, आवेदन के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमा कराये-

1. गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र जो कि छात्र/उसके पालक/अभिभावक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
2. नोटरी किया हुआ शपथ पत्र जो कि प्रमाणित करता हो की किसी अन्य माध्यम से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति छात्र को प्राप्त नहीं है।

R. Singh
कुलसचिव

पृ.क्र. 4037 अकादमी / 2016
प्रतिलिपि:-

बिलासपुर दिनांक : 23/07/2016

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. क्षेत्रिय समन्वयक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर, जगदलपुर, अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
5. वेब सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।
6. कार्यालय प्रति।

VERIFIED
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Prasad
BILASPUR
PSSOU, CG Bilaspur

Pt. Sunderlal Sharma

University Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.)

Voucher No.

Month : Oct 2016

Account fees Return (to Student Merit Holder)

Name and address of payee

Particulars (Purpose)

- 1/- Shri. Shyam Kumar Gupta 4100/-
- 2/- " Bhagawat Pat. Sonu 3700/-
- 3/- " Vaishali 4100/-
- 4/- " Seema Chanchakar 3500/-
- 5/- " Resham Pradhan 3700/-

payment of 8% fees Return to Merit Holder Student

Bill No. Date - 19/300/-

For Rs. 19,300.00

TOTAL - 19,300.00

Passed for payment of Rs. 19,300.00

Noted Register

Rupees (in words) Nineteen thousand three hundred only

at page

VERIFILL

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NARC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur